प्रेस विज्ञप्ति
08.03.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई ने दिनांकः 01.03.2024 को माननीय विशेष पीएमएलए कोर्ट, मुंबई के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अली असगर शिराज़ी और 17 अन्य के खिलाफ अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय, मुंबई ने 04.03.2024 को अभियोजन शिकायत (पीसी) का संज्ञान लिया है।

ईडी ने जोगेश्वरी पुलिस स्टेशन, मुंबई द्वारा अली असगर शिराज़ी और अन्य के खिलाफ स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 और औषधि एवं प्रसाधन सामग्री (ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स) अधिनियम, 1940 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जाँच शुरू की थी।

ईडी की जांच से पता चला कि ड्रग सिंडिकेट अली असगर शिराज़ी और अन्य द्वारा संचालित था जिसमें कॉल सेंटर/वेबसाइट चलाने वाली दूरसंचार कंपनियां, लॉजिस्टिक कंपनियां, कंसल्टेंसी कंपनियांऔर डमी फार्मा कंपनियां शामिल हैं जिनके माध्यम से भारत से विदेशों में ओपिओइड की अवैध शिपिंग की गई तथा विभिन्न माध्यमों का प्रयोग करके इस बिक्री से प्राप्त आय को भारत में वापस भेजा गया। ओपिओइड दवाओं के लिए यूएसए और यूके को भारत स्थित कॉल सेंटरों द्वारा ऑर्डर प्राप्त किया गया था। ओपियोइड दवाएं डमी फार्मा कंपनियों से खरीदी गई थीं और लॉजिस्टिक कंपनियों के माध्यम से भारत से बाहर ले जाई गई। रसद और परामर्श (लॉजिस्टिक एवं कंसल्टेंसी) कंपनियों के एक तंत्र (नेटवर्क) का उपयोग दवाओं की अवैध बिक्री के माध्यम से उत्पन्न अपराध की आय को वैध बनाने के लिए किया गया था। इसके अलावा, यह पता चला कि इस सिंडिकेट के सदस्यों द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में निगमित विभिन्न कंपनियां भुगतान माध्यम (पेमेंट गेटवे) को संचालित कर रही थीं। इस सिंडिकेट द्वारा उक्त भुगतान गेटवे का उपयोग ओपिओइड की अवैध बिक्री के माध्यम से उत्पन्न अपराध की आय को संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत में

वापस भेजने के लिए किया गया है। जाँच के दौरान पता चला कि वहाँ अली असगर शिराज़ी और संबंधित व्यक्तियों/संस्थाओं से जुड़े खातों में भारी नकदी जमा थी, जो विभिन्न दवाओं की अवैध बिक्री के माध्यम से उत्पन्न अपराध की आय का हिस्सा है। अपराध की आय (पीओसी) जिसका अब तक पता लगाया गया है वो तकरीबन 44.50 करोड़ रुपये है।

ईडी ने पहले पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत आरोपी अली असगर शिराज़ी और अन्य से संबंधित रुपये 5.37 करोड़ की अचल और चल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया था।

इससे पहले, ईडी ने इस मामले में विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया था, जिसमें लगभग 2.9 करोड़ रुपये की राशि के बैंक खाते, एफडी, सोना/आभूषण आदि जब्त/फ्रीज किए गए थे। इसके अलावा, मुख्य आरोपी अली असगर शिराज़ी को दिनांकः 05.01.2024 को गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में वह न्यायिक हिरासत में है।